संख्या- 340 /2024/ 2777 /चार 2024-1850918

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति विभाग: **लखनऊः दिनांक 23 सितम्बर, 2024**

विषयः- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उल्लिखित विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए विशेष अभियान "मिशन शक्ति" चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संस्कृति विभाग उ0प्र0 द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सहभागिता के साथ प्रदेश में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा रहे हैं। आगामी शारदीय नवरात्रि की शुभ तिथियों में दिनांक 03 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, 2024 की अवधि में प्रदेश के देवी मन्दिरों एवं शक्तिपीठों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा लागू किये गये कानूनों का वृहद प्रचार-प्रसार हेतु विशेष अभियान संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

2- अष्टमी एवं श्रीरामनवमी के अवसर पर प्रमुख शक्तिपीठ मन्दिरों सामाजिक मूल्यों व राष्ट्रीय मूल्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार व जनसामान्य को इससे जोड़ते हुए अखण्ड रामायण पाठ का आयोजन किया जाये। इस आयोजन हेतु गतवर्ष की भांति प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति का गठन करते हुए कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाये।

3- समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चयनित देवी मन्दिरों/शक्तिपीठों में स्थानीय लोक कलाकारों/भजन मण्डलियों/कीर्तन मण्डलियों का चयन अपनी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका समन्वय संस्कृति विभाग एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जायेगा। जिलों में तैनात सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाये। समस्त कार्यक्रम "मिशन शक्ति" के अनुरूप स्थानीय जनसहभागिता के साथ आयोजित किये जाये। स्थानीय कलाकारों का चयन संस्कृति विभाग की ई-डायरेक्ट्री के लिंक https://upculture.up.nic.in/hi/ Navratri-2024 से किया जा सकता है।

4- उपरोक्त आयोजन प्रदेश स्तरीय आयोजन है। इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा शक्तिपीठों एवं देवी मन्दिरों में पर्यटन विभाग व अन्य विभागों के द्वारा कराये गये विकासात्मक कार्यों एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में प्रिन्ट मीडिया/सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करते हुए समस्त देवी मन्दिरों के प्रांगण में होर्डिंग्स लगायी जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

5- प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर साफ-सफाई पेय जल, सुरक्षा, ध्वनि प्रकाश एवं दरी-बिछावन आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा ससमय सुनिश्चित करा ली जाये तथा सभी आयोजन स्थलों पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए आयोजन सुनिश्चित कराये जाये।

6- कार्यक्रमों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण देवी मन्दिरों/शक्तिपीठों का चयन करते हुए सम्बन्धित आयोजन स्थल का पता, फोटो, जी0पी0एस0 लोकेशन तथा कार्यक्रम प्रबन्धक का सम्पर्क नम्बर, कलाकारों का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी संस्कृति विभाग को प्रेषित की जायें। समस्त जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की सूचनायें प्रतिदिन संस्कृति विभाग के पोर्टल https://upculture.up.nic.in/ hi/Navratri-2024 के माध्यम से जिला स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा अपडेट की जायें।

7- प्रदेश स्तरीय उक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने तथा सभी प्रकार के समन्वय करने के लिए श्रीमती रीनू रंगभारती, सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ (मोबाइल नं0-9415068031) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी नवरात्रि की शुभ तिथियों में मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के समस्त देवी मन्दिरों/शक्तिपीठों में भव्यपूर्ण देवी गायन/दुर्गा सप्तशती पाठ/अखण्ड रामायण पाठ/झांकियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न कराते हुए कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल https://upculture.up.nic.in/hi/Navratri-2024 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पर्यटन/धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
9. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र कुमार-।
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in